# वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2024–2025)

## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4004137
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

# विषय सूची


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | आयोग की संरचना। | 3 |
| 2. | कार्यकारी संक्षिप्त विवरण। | 4 |
| 3. | वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण। | 5 से 8 |
| 4. | वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु। | 9 से 10 |
| 5. | वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित। | 11 से 12 |
| 6. | वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या। | 13 |
| 7. | वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति। | 14 |
| 8. | राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी। | 15 से 16 |

# अध्याय – 1

## आयोग की संरचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (4) के अनुसार ''राज्य आयोग तीन सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित हैं''। वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) की अवधि में आयोग में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :–

**( वित्तीय वर्ष 2024–25 की स्थिति में )**

| सरल क्रमांक | नाम | पदनाम | कार्य भार ग्रहण तिथि | कार्यकाल | वर्तमान / सेवानिवृत्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एस.पी.एस. परिहार | अध्यक्ष | 15.07.2020 | 01.01.2025 | सेवानिवृत्त |
| 2. | श्री गोपाल श्रीवास्तव | सदस्य (विधि)* | 04.02.2022 | 06.01.2027 | वर्तमान |
| 3. | श्री प्रशांत कुमार चतुर्वेदी | सदस्य (तकनीकी) | 25.01.2023 | 12.09.2025** | सेवानिवृत्त |

* श्री गोपाल श्रीवास्तव वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कार्यभार भी देख रहे हैं।

** श्री गजेन्द्र तिवारी वर्तमान में सदस्य तकनीकी पद पर दिनांक 15.09.2025 से पदस्थ हैं।

# अध्याय – 2

## कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित है।

# अध्याय–3

## (क) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

### दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ संबंधी आदेश

| सरल क्रमांक | याचिका क्रमांक | याचिकाकर्ता का नाम | विषय | आदेश दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | याचिका क्रमांक 32/2024 | एम.बी.पावर (एम.पी) लिमिटेड | एम.बी.पावर (एम.पी.) लिमिटेड के जिला अनुपपूर में स्थित ताप विद्युत परियोजना हेतु मप्रविनिआ (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2020 के अंतर्गत इकाई क्रमांक–1 (2x600 मेगावॉट) के लिए फ्लू–गैस डिस्ल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली के संबंध मे इसके संचालन की तिथि (ओडीई) से 31.03.2024 तक अनुपूरक शुल्क का निर्धारण के तहत दायर याचिका। | 31.12.2024 |
| 2 | याचिका क्रमांक 51/2024 | बी.एल.ए.पावर प्रा. लिमिटेड | बी.एल.ए.पावर प्रा. लिमिटेड के ग्राम निवारी, तहसील, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थित 2X45 मेगावॉट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (इकाई क्रमांक–1 और 2)के वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 13.02.2025 |
| 3 | याचिका क्रमांक 52/2024 | जे.पी.वी.एल (बीना) | जे.पी.वी.एल(बीना) के जिला सागर (म.प्र.) में स्थित 2X250 मेगावॉट कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन के वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ का मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 28.02.2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | याचिका क्रमांक 53 / 2024 | जे.पी.वी.एल (निगरी) | जे.पी.वी.एल(निगरी) के जिला सिंगरौली(म.प्र.) में स्थित 2X660 मेगावॉट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन के वित्तीय वर्ष 2024—25 से वित्तीय वर्ष 2028—29 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु—वर्षीय टैरिफ का मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 28.02.2025 |
| 5 | याचिका क्रमांक 57 / 2024 | एम.बी. पावर(एम.पी)लिमिटेड | एम.बी. पावर के जिला अपूपपुर(म.प्र.) में स्थित 2X600 मेगावॉट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024—25 से वित्तीय वर्ष 2028—29 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु—वर्षीय टैरिफ का मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 28.02.2025 |
| 6 | याचिका क्रमांक 56 / 2024 | एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड | एम.पी.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024—25 से वित्तीय वर्ष 2028—29 तक नियंत्रण अवधि के लिए बहु—वर्षीय टैरिफ हेतु मप्रविनिआ (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 04.03.2025 |
| 7 | याचिका क्रमांक 67 / 2024 | एस.एल.डी.सी, (जबलपुर) | एस.एल.डी.सी जबलपुर के ए.आर.आर का निर्धारण, वित्तीय वर्ष 2025—26 के एस.एल.डी.सी. द्वारा शुल्क और प्रभारों का रोपण और संग्रहण तथा वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए ए.आर.आर के ट्रू—अप हेतु तहत दायर याचिका। | 04.03.2025 |
| 8 | याचिका क्रमांक 68 / 2024 | एम.पी.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, (जबलपुर) | एम.पी.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के ट्रू—अप हेतु दायर याचिका। | 18.03.2025 |
| 9 | याचिका क्रमांक 54 / 2024 | एम.पी.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर | एम.पी.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024—25 से वित्तीय वर्ष 2028—29 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बहु—वर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिये नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत दायर याचिका। | 20.03.2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | याचिका क्रमांक 63 / 2024 | बी.एल.ए.पावर प्रा. लिमिटेड | बी.एल.ए. पावर प्रा. लिमिटेड के जिला ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर(म.प्र.) में स्थित 2X45 मेगावॉट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के (इकाई क्रमांक–1 और 2) के वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक नियंत्रण अवधि के लिए याचिका क्रमांक 14 / 2023 में 13.06.2023 के बहु–वर्षीय टैरिफ के तहत दायर याचिका। | 21.03.2025 |
| 11 | याचिका क्रमांक 64 / 2024 | एम.बी. पावर (एम.पी.) लिमिटेड | एम.बी. पावर के जिला अनूपपुर (म.प्र.) में स्थित 2X600 मेगावॉट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023–24 तक नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ का ट्रू–अप, आयोग द्वारा बहु–वर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 01.05.2021 के तहत दायर याचिका। | 28.03.2025 |

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान जारी किये गये खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश तथा सत्यापन आदेश

| क्रमांक | खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेशों के विवरण | जारी करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की वितरण कंपनियों म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 70/2024 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश में स्वीकृत समग्र राजस्व आवश्यकता का सत्यापन आदेश। | 28.03.2025 |
| 2 | याचिका क्रमांक 71/2024 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एम.पी. आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए जारी खुदरा विद्युत प्रदाय दर आदेश में स्वीकृत समग्र राजस्व आवश्यकता का सत्यापन आदेश। | 29.03.2025 |
| 3 | म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की वितरण कंपनियों म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 72/2024 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु दर आदेश। | 29.03.2025 |

# अध्याय – 4

## वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 29.03.2025 को पारित किया गया। इस आदेश की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

1. विद्युत कंपनियों के 7.52% की टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव के विरूद्ध 3.46% वृद्धि की मंजूरी।
2. समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं एवं मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत – कोई न्यूनतम प्रभार देय नहीं।
3. उपभोक्ताओं को कोई मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा।
4. स्मार्ट मीटर युक्त 10 किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ में छूटः सोलर अवधि में ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट। पीक अवधि में कोई सरचार्ज देय नही।
5. 10 किलोवाट से अधिक भार वाले निम्न दाब श्रेणी के घरेलू एवं सामान्य जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती एवं एच.वी.–6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को टी.ओ.डी. (टाइम ऑफ डे) टैरिफ के अंतर्गत लाया गया।
6. उच्च दाब उपभोक्ताओं को रात्रिकालीन उपभोग पर छूट आंशिक संशोधन के साथ यथावत। ऊर्जा प्रभार में माह जून से सितम्बर तक 10% एवं शेष माहों में 7.50% की छूट का प्रावधान।
7. उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए kwh बिलिंग यथावत।
8. उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
9. प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट/ प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
10. शीघ्र / ऑनलाईन भुगतान के लिए छूट /प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
11. पावर फैक्टर / लोड फैक्टर प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।
12. हरित ऊर्जा को प्रोत्साहनः प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा टैरिफ में कमी।
13. विद्युत वितरण कंपनियों के लिए शोध एवं विकास (R&D) फंड की व्यवस्था – इससे तकनीकी हस्तक्षेप, संचालन दक्षता में सुधार एवं लागत में बचत का अध्ययन हो सकेगा।
14. वितरण कंपनियों को उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी के निर्देश – उपभोक्ता सेवा में खामी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।

15. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों एवं एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए टैरिफ विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया है।

| कम्पनी | वर्ष 2025–26 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर |
|---|---|
| पूर्व क्षेत्र | **17.00%** |
| पश्चिम क्षेत्र | **13.00%** |
| मध्य क्षेत्र | **17.00%** |
| एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर | **1.30%** |

# अध्याय – 5

## वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित हैः–

| स.क्रं. | विवरण | अधिसूचना क्रमांक | अधिसूचना दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तराज्यिक खुली पहुॅच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) चतुर्थ–संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(IV), वर्ष 2024} | 1236/म.प्र.वि.नि.आ./2024 | 31.05.2024 |
| 2 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुॅच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुॅच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) (द्वितीय–संशोधन) विनियम, 2023 {एजी–46((ii), वर्ष 2024} | 1237/म.प्र.वि.नि.आ./2024 | 31.05.2024 |
| 3 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (तृतीय–संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–17(i)(iii), वर्ष 2024} | 1238/म.प्र.वि.नि.आ./2024 | 31.05.2024 |
| 4 | मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (तृतीय–संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–I (II) (iii), वर्ष 2024} | 1239/म.प्र.वि.नि.आ./2024 | 31.05.2024 |
| 5 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–पंचम) विनियम 2024, {आरजी–28(v), वर्ष–2024} | 1508/मप्रविनिआ/2024 | 28.06.2024 |
| 6 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2024, {आरजी–26(v), वर्ष–2024} | 1552/मप्रविनिआ/2024 | 05.07.2024 |
| 7 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत–दर अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (चतुर्थ–संशोधन) विनियम, 2024 {जी–43(I)(iv), वर्ष 2024} | 1790/म.प्र.वि.नि.आ./2024 | 02.08.2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | ''मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 (प्रथम–संशोधन) [क्रमांक एआरजी–34(II)(i), वर्ष 2024,'' | 1852 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024 | 02.08.2024 |
| 9 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 मे प्रथम संशोधन | 2004 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024 | 29.08.2024 |
| 10 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम 2024, {जी–48 वर्ष–2024} | 2180 / मप्रविनिआ / 2024 | 04.10.2024 |
| 11 | मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, (पुनरीक्षण–I) 2024 {आरजी–29(I), वर्ष 2024) | 2198 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2024 | 04.10.2024 |
| 12 | Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensee in Madhya Pradesh 2025. | 02.01.2025 | 02.01.2025 |
| 13 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता), विनियम, 2025 (जी 49, वर्ष 2025) | 58 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 10.01.2025 |
| 14 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन | 340 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 21.02.2025 |
| 15 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत सह उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (चतुर्थ–संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–33(II)(iv), वर्ष 2025} | 423 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 07.03.2025 |
| 16 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तराज्यिक खुली पहुँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (पंचम–संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(1)(V), वर्ष 2025} | 424 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 07.03.2025 |
| 17 | मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (पंचम–संशोधन) {एआरजी–I(II)(V), वर्ष 2025} | 570 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 28.03.2025 |
| 18 | मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 (प्रथम –संशोधन) {एआरजी–31(II) (एक), वर्ष 2025} | 571 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2025 | 28.03.2025 |

# अध्याय – 6

## वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

### अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालयः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 44 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 03 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 47 याचिकाओं में से 31 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 16 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025–26 में जारी रहेगी।

### विनियमन प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 14 याचिकाएं पंजीकृत की गई। जिनमें पूर्व वर्ष की 01 याचिका प्रक्रियाधीन थी, इस प्रकार कुल 15 याचिकाओं में से 09 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 6 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025–26 में जारी रहेगी।

### टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 29 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 04 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थीं। इस प्रकार कुल 33 याचिकाओं में से 24 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 09 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025–26 में जारी रहेगी।

# अध्याय – 7

## वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (द), (ध) एवं (यत) सहपठित धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 (यथासंशोधित) के प्रावधानों तथा इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, द्वारा, दिनांक 20 अगस्त, 2009 को अधिसूचित विनियमों को अतिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया है। जिसके मुख्य प्रावधान निम्न हैः–

### फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम की धारा 42 (5) के अंतर्गत फोरम का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा। उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र, कम्पनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक या एक से अधिक फोरमों का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोदिष्ट किया जाएगा। यह फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान सामान्यतः 30 दिवस की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में 45 दिवस से अधिक न होगी। तद्नुसार तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उनके मुख्यालयों एवं वृत्त स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है। कंपनी स्तर की फोरम जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर में कार्यशील है, जबकि वृत्त स्तरीय फोरम वृत्त मुख्यालय मे कार्यशील है।

### विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोद्दिष्ट कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता विद्युत लोकपाल को आवेदन दे सकता है। विद्युत लोकपाल कार्यालय आयोग परिसर भोपाल में कार्यशील है ।

# अध्याय – 8

## राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता हैः–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी/अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनीत कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है। राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

| स.क्र. | नाम | पता | वर्ग |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. प्रवीण अग्रवाल | अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्री ब्रजभूषण हाऊस, दौलत गंज ग्वालियर (म.प्र.) | वाणिज्य |
| 2 | श्री दामोदर पटेल | मकान नं. 301, विकास नगर कृषि उपज मंडी के पीछे, जबलपुर (म.प्र.)–482001 | कृषि |
| 3 | श्री राकेश कुमार गौर | ग्राम कुलहाडा (डोलरिया), जिला होशांगाबाद–461116 | कृषि |
| 4 | श्री ओमप्रकाश राजाराम पाटीदार | ग्राम गव्सन पोस्ट सिंखेड़ा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट खरगोन | कृषि |
| 5 | श्री अशोक कुमार शुक्ला | भारतीय मजदूर संघ, निवास–241, प्रीमियर आर्चड पीपुल्स माल के पीछे, भोपाल | श्रमिक |
| 6 | श्री राजीव अग्रवाल | अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, मण्डीदीप, जिला– रायसेन– 462026 | उद्योग |
| 7 | श्री गिरीश जायसवाल | अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ,उज्जैन, जी/3 सुन्दर अपार्टमेंट सुभाष नगर इन्दौर रोड, उज्जैन | उद्योग |
| 8 | श्री प्रशांत मिश्रा | 34, पुराना खेड़ापति, विशाल मेघा मार्ट के पास, वार्ड क्रमांक 32, ग्वालियर | घरेलू उपभोक्ता |
| 9 | श्री एस.एन. गोयल | अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.), कॉरपोरेट ऑफिस, प्लाट न. सी–001/ए/1,9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16बी, नोएडा (उ.प्र.)– 201301 | वाणिज्य |

| स.क्र. | नाम | पता | वर्ग |
|---|---|---|---|
| 10 | डॉ. प्रियंवदा चंदेल | संयुक्त निदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, गोविंदपुरा भोपाल (म.प्र.)–462008 | शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय |
| 11 | डॉ. शंकर चकमा | एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), भोपाल, बाईपास रोड भौरी भोपाल 462066, (म.प्र.) | शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय |
| 12 | डॉ. मनीष यादव | एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, (एनएलआईयू),<br>केरवा डैम रोड, भोपाल– 462044 | शैक्षणिक |
| 13 | श्री सौरभ मिश्रा | मुख्य विद्युत अभियन्ता/ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर–482001 | ट्रांसपोर्ट |
| 14 | श्री दीपक पालीवाल | जीएम (नेटवर्क ग्रोथ और कॉर्पोरेट विकास) फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एन–11 साइबर सिटी, गुरूग्राम – 122022 | ट्रांसपोर्ट/ई–वाहन |
| 15 | सुश्री एन जोसे | फैलो, प्रयास (ऊर्जा समूह), पुणे यूनिट III ए, देवगिरी, जोशी रेलवे कोथरूड संग्रहालय लाना औद्योगिक क्षेत्र, कोथरूड, पुणे – 411038 | एनजीओ |